[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं० 09/2020 केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 16th मार्च, 2020

सा.का.नि. ....(अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 381 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिनसूचना के अधीन आने वाले व्यक्तियों और जो कंपनी (विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 का अनुपालन किया है, यदि वह कोई विदेशी कंपनी है, जो कि एक एयरलाइन कंपनी है , ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग, जो नीचे यथा उल्लिखितविशेष प्रक्रियाका अनुसरण करेंगे, को अधिसूचित करती है ।

2. उक्त व्यक्तियों को, उक्त नियमों के नियम 80 के उपनियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटी आर-9ग** में समाधान विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु, भारतीय कारबार संचलानो के बाबत प्रत्येक माल और सेवा कर पहचान संख्याक के लिए, भारत में व्यवसायरत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फर्म या भारत में व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा सम्यक्र रूप से अधिप्रमाणित वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संदायोंका विवरण वित्तीय वर्ष के उत्तरवर्ती वर्ष के 30 सितम्बरको प्रस्तुत किया है ।

[फा.सं०-20/08/01/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार